पत्रा सं०–6 एस०एस०(6) 24/2014– 1726 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–25/5/2018.

XX अनौपचारिक रूप से परामर्शित

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 42.50 लाख (कुल ₹ वियालीस लाख पचास हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत ''एवियन इन्फलूएंजा रोग नियंत्राण योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–2094, दिनांक–03.07.2017 द्वारा इस योजना की स्वीकृति दिनांक–31.03.2018 तक के लिए प्रदान की गई थी। योजना की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य में मुर्गियों को एवियन इन्फलूएंजा (वर्ड फ्लू) रोग से बचाव एवं उसके नियंत्रण हेतु कुल ₹ 42.50 लाख (कुल ₹ वियालीस लाख पचास हजार) मात्रा की अनुमानित लागत पर ''एवियन इन्फलूएंजा रोग नियंत्रण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य ''एवियन इन्फलूएंजा जो पक्षियों के लिए एक धातक एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बीमारी है, से पक्षियों की सुरक्षा एवं मानव जाति को बचाव हेतु राज्य में इस बीमारी के प्रवेश को रोकने के लए व्यापक तैयारी की जानी है ताकि इस बीमारी से पक्षियों तथा मानव जाति को बचाया जा सके।

3) चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष 2403 –पशुपालन उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–103 कुक्कुट विकास, मांग सं०–02 उप शीर्ष–0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण विपत्र कोड–02-2403001030106 अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपवंधित राशि से विकलनीय होगा।

24/5/18

4) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला पशुपालन/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5) इस योजना के तहत कुक्कुटों से स्वाब/सिरम का नमूना प्राप्त कर जाँच हेतु RDDL कोलकता भेजा जाएगा। इसके लिए आवश्यक उपकरण एवं केमिकल आदि आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। साथ ही राज्य के कुक्कुटों में बर्ड–फ्लू के उद्भेदन की स्थिति में इससे निपटने का भी कार्य किया जाएगा।

6) यह योजना एक चालू योजना है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधित) नियमावली–2007 के नियम 21 के अधिन चतुर्थ अनुसूची "ग" के उप नियम–2 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय मंत्री का प्रस्ताव एवं राज्यादेश में अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6) 24/2014 के पृ०–37/टि०.

7) इस प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०– 6 एस०एस० (6) 24/2014 पृ०–39/टि० एवं डायरी सं०–24, दिनांक–21.05.2018.

8) वित्त विभाग के पत्र सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

25/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014– 1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014– 1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014–1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/निदेशक पशुपालन बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014–1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014–1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा–6 के कार्यावाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014–1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के आप्त, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6) 24/2014–1726 /पटना–15,दिनांक–25/5/2018.

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/18

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत एवियन इन्फलूएंजा रोग के नियंत्रण की योजना पर होने वाल संभावित व्यय का व्यय विवरणीः–

(राशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	मद का नाम	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	0106.13.01 –कार्यालय व्यय	4.00	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक पशु एवं स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना	सचिवालय कोषागार विकास भवन/जिला कोषागर पटना
2	0106.13.02 –वाहन का ईधन एवं रखरखाव	1.50	तथैव	तथैव
3	0106.21.01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	30.00	निदेशक पशु एवं स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार	सभी जिला कोषागार
4	0106.33.02 –मुआवजा	5.00	निदेशक पशु एवं स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना	जिला कोषागार, पटना
5	0106.52.01 –मशीने एवं उपस्कर	2.00	तथैव	जिला कोषागार, पटना
	योगः–	**42.50**		

(कुल ₹ बियालीस लाख पचास हजार) मात्र।

1726
25/5/18

25/5/18
सरकार के अपर सचिव

4 E\Sanjay Kumar,Yojna.\18-19\S S(6)24/14\26-04-2018.